रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 271] नई दिल्ली, सोमवार, जून 28, 1982/आषाढ़ 7, 1904
No. 271] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 28, 1982/ASADHA 7, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और उर्वरक विभाग)

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 जून, 1982

का०आ० 460 (अ)—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का०

आ० 807 (अ), तारीख 17 सितम्बर, 1980 को अधिक्रान्त करते हुए, 1599.12 रुपए प्रति कि० ग्रा० को उस अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है जिस पर देश में विनिर्मित पेथिडीन हाइड्रोक्लोराइड का विक्रय किया जाएगा ।

[सं० 8(1)78-ओ०-4]

आर० एन० दास, उप सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS
(Department of Chemicals & Fertilizers)

Office of the Development Commissioner (Drugs)

ORDER

New Delhi, the 28th June, 1982

S.O. 460(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order-1979 and in supersession of the Order of the Govenment of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fetilizers (Department of Chemicals & Fertilizers) No. S.O. 807(E), dated the 17th September, 1980, the Central Government hereby fixes Rs. 1599.12 per kilogram as the maximum price at which Pethidine Hydrochloride manufactured indigenously shall be sold.

[No. 8(1)/78-Drug II]

R. N. DAS Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982